फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन् उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली (राजस्थान)

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
सोहनसिंह पुत्र भैरसिंह उर्फ भैरूसिंह जाति राजपुरोहित निवासी बारवा तहसील बाली		राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार बाली

किस्म मुकदमा राजस्व विविध प्रकरण सं. GCMS No. 2025/478
प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
18/8/025	प्रार्थी द्वारा अपनी धारित भूमि ग्राम बारवा के खसरा नंबर 1035 रकबा 0.76 हैक्टर में से संपरिवर्तनशुदा रकबा 0.06 हैक्टर की तरमीम सेग्रीगेशन के दौरान ऑनलाईन नक्शे में मौका स्थिति के विपरीत तरमीम होने से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर बारवा के खसरा नंबर 1035/1 रकबा 0.06 हैक्टर व खसरा नंबर 1035 रकबा 0.01 हैक्टर की तरमीम मौका स्थिति के अनुसार आपस में अदला बदली के द्वारा शुद्धि किये जाने का आवेदन पेश किया। प्रस्तुत आवेदन पत्र के संदर्भ में तहसीलदार बाली से जांच रिपोर्ट लिये जाने पर तहसीलदार बाली ने पटवारी हल्का बारवा व निरीक्षक भू–अभिलेख बाली की मौका जांच रिपोर्ट के अनुसार बारवा के खसरा नंबर 1035 की जगह 1035/1 को तरमीम शुद्धि के माध्यम से प्रतिस्थापित किये जाने की अनुशंषा की। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, इस संबंध में पटवारी हल्का बारवा व निरीक्षक भू–अभिलेख बाली की रिपोर्ट मय नजरी नक्शा, संपरिवर्तन आदेश कमांक 224–228 दिनांक 09.02.15 एवं उसकी पालना में पटवारी हलका द्वारा जारी किये गये तरमीमी नक्शा पी–35 कमांक 22 दिनांक 03.07.14 एवं वर्तमान कम्प्यूटराईज्ड ऑनलाईन नक्शा का अवलोकन किया गया। वकील प्रार्थी की बहस एवं धारा 151 नक्शे में तरमीम शुद्धि बावत विधि के प्रावधानों पर भी मनन किया गया। उपलब्ध रिकॉर्ड के अवलोकन से ज्ञात है कि वर्तमान कम्प्यूटराईज्ड नक्शा में बारवा के खसरा नंबर 1035 की जगह 1035/1 एवं 1035/1 की जगह 1035 दर्शित हो गये है। जबकि खसरा नंबर 1035/1 का रकबा 0.06 हैक्टर है जो प्रथम दृष्टया वर्तमान राजस्व नक्शे में त्रुटि को प्रमाणित करता है। अतः राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131, 136 के तहत तहसीलदार बाली के कार्यालय पत्रांक भू.अ./2025/1538 दिनांक 04.08.2025 के अनुरूप ग्राम बारवा के खसरा नंबर 1035 व 1035/1 की स्थिति तरमीम शुद्धि के माध्यम से दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शा व पटवारी हल्का बारवा व निरीक्षक भू–अभिलेख बाली द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में वर्णित नजरी नक्शा को आदेश का भाग माना जावे। तहसीलदार बाली व पटवारी हल्का बारवा आदेश की पालना सुनिश्चित करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। 18/8/25 सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी बाली	

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी * बाली जिला-पाली (राज.)

CamScanner